

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह(गोपन) अनुभाग-3
संख्या-103/1/03/2006-सी0एक्स0-3
लखनऊ:दिनांक: 16 जून, 2013

अधिसूचना

चूंकि नीचे दी गयी अनुसूची में नामित, और वर्णित परिसर ऐसा स्थान है, जिसका उपयोग लोक प्रकृति के प्रयोजनों के लिए अर्थात्, तेल आपूर्ति के लिए किया जाता है;

और चूंकि उसके सम्बन्ध में सूचना या उसके नष्ट करने या उसमें बाधा डालने या उसमें विघ्न पड़ने से शत्रु को लाभ पहुँचेगा ;

अतएव, अब, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19, सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित, सविस्तार वर्णित परिसर को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करते हैं, और निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और स्थानीय क्षेत्र की जन भाषा में उक्त परिसर पर चिपकायी जायेगी।

अनुसूची

"प्रतिषिद्ध स्थान" का नाम और विनिर्दिष्टि

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के ग्राम अम्बाबाई स्थित करारी डिपो, जनपद-झांसी।

पूरब में- गाटा संख्या-2074/2, 2074/3, 2074/4, 2071/2, 2071/3, 2073

पश्चिम में-गाटा संख्या-2270, (रेलवे लाईन)

उत्तर में- गाटा संख्या-2116, 2118, 2101, 2139, 2076, 2143, 2145, 2146, 2147

दक्षिण में- गाटा संख्या-2066, 2086/1, 2069, 2053, 2045, 2048, 2072/1, 2072/2, 2067

आज्ञा से,

Raj 6.6.2013
(कमल सक्सेना)
सचिव, गृह।

6/6/13

—2—

संख्या-103(1)/1/03/2006-सी0एक्स0-3 तददिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ०प्र० इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि अंग्रेजी तथा हिन्दी विज्ञप्ति की 40-40 प्रतियाँ डिपो प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के ग्राम अम्बाबाई स्थित करारी डिपो, जनपद-झाँसी को तथा 20-20 प्रतियाँ गृह(गोपन) अनुभाग-3 उ०प्र० शासन लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संख्या-103(1)/1/03/2006-सी0एक्स0-3 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- डिपो प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के ग्राम अम्बाबाई स्थित करारी डिपो, जनपद-झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना की 40 प्रतियाँ प्राप्त होने पर उसकी प्रतियों को प्रतिषिद्ध स्थान के मुख्य स्थानों पर चिपकवा दें।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, अधिसूचना विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- जिलाधिकारी, झाँसी।
- 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी।

आज्ञा से,

 (कमल किशोर श्रीवास्तव)
 उप सचिव।

h